22/3/24 पत्रावली पेश। TDR से PD पालना रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली TDR PD पालना रिपोर्ट इंतजार दिनांक 30.3.24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 22/3/24

30.3.24 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। TDR से PD पालना बंटवारा प्रस्ताव मय मूल मौका रिपोर्ट, नक्शा व जमाबंदी पेश जो शामिल पत्रावली हो। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों ने TDR के मौके की रिपोर्ट व बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमति जाहिर कर गुणावगुण पर पत्रावली का निस्तारण करने का निवेदन किया जिसे परसुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वाद पत्र मय शपथ पत्र, प्रतिवादी जवाब, बंटवारा प्रस्ताव व वकील उभयपक्षों के बहस के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 30/3/24

(हस्ताक्षर) 30/3/24

न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा जिला जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी :— दूदाराम हुड्डा आर0ए0एस0

वाद पत्र संख्या 27 / 2019

वादी

1 अमरी पत्नि विरमखां
2 इलियास पुत्र विरमखां
सर्व जाति मुसलमान निवासी
लौगांसर तहसील भणियाणा

बनाम

प्रतिवादी

1. अनीमत पत्नि इलमदीन
2. नेमत पत्नि अलीखां
3. रेहमत पत्नि साफीखां
4. लालदीन पुत्र अकबरखां
5. जमाल खां
6. सायरखां पिसरान मुरादखां
7. धीया पत्नि मुरादखां सर्वेजाति मुसलमान निवासी लौगासर तहसील भणियाणा
8. बावलखां पुत्र विरमखां जाति मुसलमान निवासी लौगासर तहसील भणियाणा
9. तहसीलदार भणियाणा
10. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा भीखेड़ाई
11. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा पोकरण
12. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा राजमथाई

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1 वकील :—श्री सरवरखां
2 वकीलः— श्री इकबालखान

:— निर्णय :—

दिनांक 30.03.2021

1. वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लौगांसर पटवार हल्का राजमथाइ तहसील भणियाणा के खेत खसरा नम्बर 1807 रकबा 152.06 बीघा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा है तथा हिस्से अनुसार वादी प्रतिवादी मौके पर मौखिक बटंवाड़ा कर काबिज काश्त है । वादीगण के पिता/पति ने पूर्व में विवाद होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 188 व 212 का प्रकरण सन् 2003 में न्यायालय हाजा में पेश किया जिस पर गांव के मौजिज लोगों ने प्रतिवादीगण से सहमति से बटवाड़ा करवाने का राजीनामा कर वाद व प्रार्थना पत्र विड्रो करवा दिया लेकिन बाद में प्रतिवादीगण अपने कथन से मुकर गये व वादी गण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है तथा काश्त में बाधा कारित करते है । पूर्व में लिखित में सहमति से पंचों द्वारा बंटवाड़ा किया गया था जो सलग्न परिशिष्ठ ए के अनुसार है जिसके अनुसार पुनः बटवाड़ा कर प्रतिवादीगण को पांबद किया जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी ना करे इस आश्य का वाद पत्र जरिये वकील श्री सरवर खां व हमले खां द्वारा न्यायालय हाजा में 17.01.2019 को पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की और से जवाबदावा मय वकालतनामा जरिये वकील श्री भेरूसिंह ने 05.03.2019 को पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रति वकील वादी को दी गई प्रतिवादी संख्या 10,12 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 05.03.2019 व 9,11 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही 07.11.2019 को की गई ।

30/3/21

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 8 की ओर से पेश जबाबदावे के अनुसार वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र कें साथ सलग्न परिशिष्ठ ए पूर्णतया गलत व मिथ्या है, किसी प्रकार की कोई लिखापढी व राजीनामा पंचों द्वारा नही किया गया । पूर्व में पेश वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज की गई । प्रतिवादीगण वादी के हिस्से अनुसारकब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करेगे । वादी मौके पर कब्जे के अनुसार By mits and Bounds यदि बटंवाड़ा करवाते है तो हमे कोई एतराज नही है दिनांक 21.10.2003 की लिखा पढी अनुसार बटंवाड़ा कराने की बात सरासर गलत व मनगढत है। वादीगण व प्रतिवादीगण लम्बे समय से अपने–अपने हिस्सो जो सलंग्न परिशिष्ठ B के अनुसार है पर काबिज काश्त है इस कारण दखलंदाजी का सवाल ही पैदा नही होता [redacted] है इसीलिए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज फरमावे ।

3.वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर कब्जे के अनुसार बटंवाड़ा कराने पर सहमत होने से दिनांक 15.11.2019 को प्राथमिक डिक्री की पालना व बटंवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया जिस पर तहसीलदार भणियाणा द्वारा दिनांक 24.03.2021 को प्रत्रांक राजस्व/2021/288 दिनांक 19.03.2021 को बंटवाड़ा प्रस्ताव मूल मौका रिपोर्ट,नक्शा व जमांबदी प्रमाणित प्रति के साथ प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल कर दिनांक 30.03.2021 को पत्रावली वास्ते बहस रखी गई । दिनांक 30.03.2021 को वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई । दोनो पक्षों ने बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमति दी। हमने वादीगण के द्वारा पेश वाद पत्र प्रतिवादीगण के जबाब दावे व बटवाड़ा प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन–अवलोकन व मनन किया। वादी प्रतिवादी की सहमति होने से वादी पत्र स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1807 का निम्नानुसार का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है ।

क्रस.	खातेदार	ख.नं.	रकबा (हैक्टर	किस्म	लगान
1	अनीमत पत्नि इलमीदीन1/3नेमत पत्नि अलीखां1/3 हि. रेहमत पत्नि सफीखां 1/3 हि.सर्व जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	1807	1.2141	बा.3	0.30
		01	1.2141		
2	अमरी पत्नि वीरमखां1/3 हि.इलियास पुत्र वीरमखां 2/3 हि.जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	1807	3.0351	बा.3	0.75
		01	3.0351		
3	अमरी पत्नि वीरमखां 1/3 हि.बावलखां पुत्र वीरमखां 2/3हि.जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	1807	3.0351	बा.3	0.75
		01	3.0351	बा.3	0.75
4.	लालदीन पुत्र अकबरखां जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	1807	4.9048	बा.3	2.25
		1807	4.2006	बा.3	2.25
		02			
5	धीया पत्नि मुरादखां 1/3 जमालखां पुत्र मुरादखां सायरखां पुत्र मुरादखां 1/3 हि.जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	1807	7.8995	बा.3	1.95
		01	7.8995		
6.	क्र.स. 1 से 5 तक के खातेदारों की सामलाती भूमि रास्ता हेतु	1807	0.3642	बा.3	0.09
		01	0.3642		

आदेश

4. उपर्युक्त विवेचना के अनुसार एतद्द्वारा यह आदेश किया जाता है कि मौजा लौंगासर पटवार हल्का राजमथाई तहसील भणियाणा के खेत खसरा नम्बर 1807 को तहसीलदार भणियाणा के बटंवाड़ प्रस्ताव के अनुसार विभाजित कर वादी–प्रतिवादी को मौके पर कब्जा दिलाया जाकर

30/3/21

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में तहसीलदार भणियाणा द्वारा अमल दरामद किया जावें । तहसीलदार भणियाणा द्वारा पेश बटंवाड़ प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार प्रस्ताव डिक्री पर्चा जारी होकर मुर्तिब हो । वादी--प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा एतद्द्वारा पांबद किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना स्वयं और ना ही किसी अन्य से करावे । पक्षकारान खर्चा अपना--अपना वहन करेरे ।
निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(सूदाराम हुड्डा)
सहायक कलक्टर
भणियाणा

क्रमांक / राजस्व / 2021 / दिनांक

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार भणियाणा

सहायक कलक्टर
भणियाणा

Scanned by CamScanner